न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, सं0—1, अजमेर

पीठासीन अधिकारी— सागर माथुर, आर जे एस
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0—46/14 पुलिस थाना रामगंज
फौजदारी प्रकरण सं0—533/2014
रजिस्ट्रेशन संख्या—3/15

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी।

बनाम

राजेश कुमार पुत्र प्रेमप्रकाश राजोरिया निवासी बी/283, चन्दरबरदायी नगर, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 353 भा0द0सं0

उपस्थितिः—
1— विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी—सरकार की ओर से।
2— श्री जी.एस.सोढी, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20.12.2016

न्यायालय द्वारा—

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि महेन्द्र कुमार कांस्टेबल ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 09.02.2014 को समय 9.30 ए.एम. से 10.00 पी.एम. तक उसकी व महेन्द्र सिंह कांस्टेबल संख्या 1173 की थाना क्षेत्र सिग्मा 8 में गश्त ड्यूटी थी। शाम को चूंगी नाका ब्यावर रोड पर नाका बंदी 6.00 पी.एम. से 8.00 पी.एम. थी। जिसके दौरान समय 6.55 पी.एम. पर मुल्जिम शाहिब सिंह का फरार होने की सूचना मिलने व सख्ती से प्रत्येक वाहनों को चैक करने के उच्चाधिकारियों के निर्देश मिलने पर नाकाबंदी मय महेन्द्रसिंह भी नाकाबंदी स्थल पर नाकाबंदी सख्ती से कर रहे थे व प्रतयेक वाहन को चेक कर रहे थे। उसी दौरान समय 7.25 पी.एम. पर एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैन्डर नंबर आर जे 01 एस एल 3868 चन्दरबरदायी रोड की तरफ

से आयी जिसको रूकवायी तो गाडी नहीं रोकी तब उसने व महेन्द्र कांस्टेबल ने भाग कर रूकवायी जिसका चालक ने हैल्मेट नहीं लगा रखा था व स्कार्फ से अपना मुंह ढक रखा था जिसको हैलमेट नहीं लगाने के बारे में पूछा तो कहा कि ऐसे पुलिस वाले बहुत मिलते हैं उसके पास कोई कागजात नहीं हैं वे उसका क्या कर लेंगे व मां बहन की गालीगलोच करने लग गया व उन दोनों कांस्टेबलों पर हमलावर हो धक्का धूम करने लगा व उसका गिरेबान पकड कर कहा कि उसके रिश्तेदार भी पुलिस अधिकारी हैं। वे सिपाही होकर उसका कुछ नहीं बिगाड सकते। इस पर उन्होंने एस. आई.जगनलाल को रिपोर्ट की। तब उन्होंने मोटरसाईकिल का चालान बनाया तब उस व्यक्ति ने अपना नाम राजेश कुमार होना बताया जिसने चालान पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस प्रकार राजेश कुमार ने राजकार्य का निर्वाह करते समय ड्यूटी के दौरान बाधा उत्पन्न कर हमलावर होकर उनके साथ धक्का मुक्की की। आदि पर मुकदमा दर्ज कर तफतीश शुरू की गयी, बाद तफतीश अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 353 भा0दं0सं0 में जुर्म साबित पाये जाने पर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर अपराध अन्तर्गत धारा 353 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुन समझ कर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया व अन्वीक्षा चाही।

दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पीडब्ल्यू 1 महेन्द्र सिंह, पीडब्ल्यू 2 जितेन्द्र सिंह, पीडब्ल्यू 3 जगनलाल को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया। गवाह संख्या 5 व 6 को न्यायालय द्वारा बार बार तलब किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनकी तलबी बन्द की गयी एवं गवाह संख्या 1 महेन्द्र कुमार, जो कि स्वयं परिवादी है, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो सका है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी 1 फर्द नक्शा मौका, प्रदर्श पी 2 फर्द गिरफ्तारी प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

अभियुक्त के अभिकथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना एवं झूठा

फसाया जाना जाहिर किया एवं साक्ष्य सफाई में गवाह डीडब्ल्यू 1 राजवीरसिंह, डीडब्ल्यू 2 कमला देवी के बयान लेखबद्ध कराये गये।

बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्णतया प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित कर सजा के दण्ड से दण्डित किया जावे। जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह/परिवादी की मृत्य हो जाने के कारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो सका है जिससे अभियोजन कहानी की ताईद नहीं हुई है। अभियुक्त राजेश के मोटरसाईकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहने होने का कोई चालान अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्रावली पर संलग्न नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य गवाहान ने भी घटना की ताईद नहीं की है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है, अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :–

1– ''आया अभियुक्त ने दिनांक 09.02.2014 को समय करीब 6.00 पी.एम. से 8.00 पी.एम. के लगभग स्थान चूंगी नाका ब्यावर रोड, रामगंज, अजमेर के निकट लोक सेवक महेन्द्र कुमार एफ.सी. 2193 पी.एस. रामगंज लोक सेवक के नाते अपने साथी लोक सेवक के पदीय कर्तव्य का निर्वहन करते जुए चूंगी नाका पर प्रत्येक वाहन चैक कर रहे थे के कर्तव्य निर्वहन से भयोपरत करने के लिए धक्का–धूम, गालीगलौच कर उन पर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया ?''

2– यदि हां तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे ?''

अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहान में गवाह पीडब्ल्यू 1 महेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि उसके दिनांक 09.02.14 को कांस्टेबल के पद पर थाना रामगंज पर तैनात रहते हुए और उसका साथी कांस्टेबल 2193 महेन्द्र कुमार समय 9.30 ए.एम. से

10.00 पी.एम. तक सिग्मा ड्यूटी में थे। शाम को करीब 6 बजे पुरानी चूंगी ब्यावर रोड बुलाया और बताया कि 6 बजे से 8 बजे तक नाकाबन्दी है इसलिए उनको वहां नौकरी करनी है। थानेदारजी ने बताया कि एक बन्दी बीकानेर जेल से फरार हो गया है। जिस पर एस.आ.ई जगनलाल व उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मय जितेन्द्रसिंह नाकाबंदी कर रहे थे। उस दौरान 6.55 पी.एम. पर कंट्रोल रूम से मुलजिम साहिबसिंह बीकानेर से फरार होने की सूचना मिलने पर सख्ती से प्रत्येक वाहन को चैक किया। उसी दौरान 7.20 पी.एम. पर एक मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर आर जे 01 एस एल 3868 चन्द्रवरदाई रोड की तरफ से आई जिसको रूकवाया तो उसने नहीं रोका। उसने व कांस्टेबल महेन्द्र कुमार ने भाग कर रूकवाया। जिसके चालक ने हेलमेट नहीं लगा रखा था व अपना मुंह स्कार्फ से ढक रखा था। हेलमेट व गाडी के कागजात के बारे में पूछने पर कहा ऐसे पुलिस वाले बहुत मिलते है। उसके पास कोई कागजात नहीं वह उसका क्या कर लेंगे व गालीगलोच करने लगा। उन दोनों के साथ धक्का मुक्की करने लगा। कांस्टेबल महेन्द्र कुमार की गिरेबान पकड कर कहा कि उसके रिश्तेदार पुलिस अधिकारी हैं तुम कांस्टेबल उसका क्या कर लोगे। जिसकी रिपोर्ट एस.आई. जगनलाल को की। उसने मोटरसाईकिल का चालान बनाया। उस व्यक्ति ने अपना नाम राजेश कुमार बताया। उसने चालान पर भी साईन करने से मना कर दिया। राजेश कुमार ने राजकार्य का निर्वाह करते समय ड्यूटी के दौरान बाधा उत्पन्न कर उनके साथ धक्का मुक्की की। जिसका घटनास्थल का मौका मुआयना दिनांक 10.02.2014 को मूर्तिब किया जो प्रदर्श पी 1 है जिसे उसके सामने बनाया व हस्ताक्षर करवाये। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम राजेश कुमार प्रदर्श पी 2 है जिसे उसके सामने गिरफ्तार किया। उक्त दोनों फर्दों पर उसके हस्ताक्षर है।

उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि दिनांक 09.02.2014 को उसे व महेन्द्र कुमार को सिग्मा ड्यूटी में जाने का लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ। नाका बंदी की कोई रवानगी दर्ज रोजनामचा में नहीं की थी। उसने राजेश कुमार का हेलमेट नहीं पहनने के संबंध में चालान भी दर्ज किया था। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 1 व

प्रदर्श पी 2 में किसी स्वतंत्र गवाह के कोई हस्ताक्षर नहीं है। यह बात भी सही है कि राजेश को उसने मौके पर गिरफ्तार नहीं किया। यह बात सही है कि राजेश को थाने ले जाकर लगभग 3 घंटे बाद गिरफ्तार किया।

गवाह पीडब्ल्यू 2 जितेन्द्रसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 09.02.2014 को बीकानेर पुलिस के चालानी गार्ड से मुलजिम के फरार हो जाने के कारण एस.पी.अजमेर के आदेश से समय करीब 6.55 पी.एम. पर समस्त जिले में नाकाबंदी के आदेश थे जिस पर एस आई जगनलाल जी को थाना रामगंज के चूंगी नाका पर नाकाबंदी करने के आदेश मय जाप्ता थे। जिसमें वह व दो कांस्टेबल दोनों ही थे। समय 7.20 पी.एम. पर चन्द्रवरदाई की ओर से एक मोटरसाईकिल सवार मोटरसाईकिल नंबर आर जे 01 एस एल 3868 बिना हेलमेट के डाला बांधकर आया जिसको इशारे से रूकवाने का टीम ने कहा लेकिन नहीं रूका। इस पर कानि. 2193 महेन्द्र ने भाग कर पकडा तो उक्त व्यक्ति ने रूकते ही कांस्टेबल महेन्द्र को गालीगलोच की व गिरेबान पकड लिया व कहा कि उसके भी रिश्तेदार पुलिस वाले हैं। वह तो एक कानि. है वह उसका क्या बिगाड लेकर। इसके बाद एस आई जगनलाल ने मोटरसाईकिल सवार राजेश कुमार का चालान बनाया। इसी समय हालात अधिकारियों को बताया और मुकदमा दर्ज करवाया। दिनांक 10.02.14 को घटनास्थल पुरानी चूंगी नाका का दशरथसिंह जी ने उसके व महेन्द्र की उपस्थिति में नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है जो मौके पर किये। घटना एक्स स्थान पर कारित हुई।

उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि उसने राजेश का चालान स्वयं नहीं किया था। उसके सामने जगनलाल ने किया था। यह कहना सही है कि पत्रावली पर जगनलाल द्वारा किया गया चालान मौजूद नहीं है।

गवाह पीडब्ल्यू 3 जगनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 09.02.2014 को 6 से 8 बजे तक नाकाबंदी के आदेश होने से जितेन्द्रसिंह ए.एस.आई. के साथ मय सरकारी जीप के पुरानी चूंगी नाका तिराहे पर पहुंचे जहां महेन्द्रसिंह व महेन्द्र कुमार कांस्टेबल को बुला लिया। 6.55 पी.एम. पर कंट्रोल रूम से साहेबसिंह मौना सरदार बीकानेर से

फरार होने की सूचना आयी। जिस पर वे पुलिस जाप्ता द्वारा सख्ती से नाकाबंदी की गयी। वाहनों की चैकिंग कर रहे थे कि चंद्रवरदाई की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति आया उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था व मुंह पर स्कार्फ बांध रखा था। उसको रोका तो उसने बाईक नहीं रोकी। जिस पर दोनों कांस्टेबल ने भागकर बाईक रूकवाई। कागजात मांगे तो नहीं होना पाया। वह महेन्द्रकुमार से उलझ गया था व कहने लगा कि ऐसे पुलिस वाले काफी देखे हैं। पुलिस अधिकारी उसके परिवार में भी है। महेन्द्र कुमार के साथ गालीगलोच व धक्का मुक्की करने लगा। गिरेबान पकड लिया इस पर उसने उसकी बाईक का चालान बनाया व महेन्द्रकुमार को उसके साथ राजकार्य में बाधा डालकर गालीगलोच धक्कामुक्की करने से एफ.आई.आर. हेतु थाना रामगंज रवाना किया।

उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 09.02.2014 को नाकाबंदी करने का कोई लिखित आदेश उसे नहीं था। मौखिक आदेश थे। राजेश का चालान उसने किया था। यह कहना सही है कि ऐसा कोई चालान पत्रावली पर पेश नहीं है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डीडब्ल्यू 1 राजवीरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि वह राजेश को 7–8 सालों से जानता है। वह राजेश की मोटरसाईकिल पर उसके साथ रामगंज किसी काम से जा रहा था। करीबन 7.30 पी.एम. के आस पास राजेश ने हेलमेट लगा रखा था। रास्ते में पुलिस वाले ने उसे चिल्ला कर रोका और फिर राजेश ने गाडी रोकी तो कहा कि अपना हेलमेट उतार। राजेश ने हेलमेट उतारा। फिर पुसिल वाले ने कहा कि तू है क्या राजेश तू आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। तू हमारी शिकायत करता है। आज तेरा सच्चाई का भूत उतारते हैं। तब राजेश ने कहा कि सर मैंने आपका ऐसा क्या किया है जो उसे ऐसा बोल रहे हो। फिर उसने राजेश का गिरेबान पकडकर मां बहन की गाली दी। उस पर राजेश ने कहा कि सर उससे गालीगलोच करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इतना कहने पर पुलिस वालों ने राजेश को 2–3 थप्पड मारे फिर उनको घसीट कर साईड में ले गये फिर पुलिस वालो ने 3–4 अन्य पुलिस वालों को बुलाया और राजेश को पुलिस वाली जीप में

डाल कर थाने ले गये और उसकी मोटरसाईकिल भी ले गये। जिस पर उसने राजेश के घर वालों को उसकी सूचना दी फिर राजेश के माता पिता उसके पास थाने पर आये। जहां राजेश के कपडे उतार रखे थे और हवालात में बन्द कर रखा था और उसके साथ मारपीट की जा रही थी।

गवाह डीडब्ल्यू 2 कमला देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि फरवरी 2014 की बात है। राजेश उसका बेटा है जो शाम के समय उसका दोस्त राजवीर के साथ मोटरसाईकिल पर रामगंज बाजार सामान लेने गये थे। काफी देर होने पर जब वह घर वापस नहीं आया तो उसने राजेश को फोन मिलाया पर उसका फोन बंद आ रहा था। फिर रात्री 9.30 बजे उसकर दोस्त राजवीर ने घर आकर बताया कि आप दोनों थाने पर चलें। उसने उसे बताया कि राजेश के साथ थाने पर मारपीट हो रही है। जिस पर वह थाने पहुंची। तब राजेश को जेल में डाल रखा था। उसके सारे कपडे उतार रखे थे और उसके साथ मारपीट की जा रही थी। उसने व उसके पति ने थाने वालों को पूछा कि राजेश के साथ मारपीट क्यों हो रही है तो उन्होंने उसकी एक बात नहीं सुनी और मारपीट करते रहे। उन्होंने कहा कि यह नेतागिरी करता है और हमारी शिकायतें करता है। हम इसका सारा जोर निकालेंगे।

पत्रावली पर आयी समस्त साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार हैः—

(i) प्रकरण का मुख्य गवाह स्वयं परिवादी महेन्द्र कुमार बैरवा, जो कि शिकायतकर्ता है, की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो सका है जिससे उक्त गवाह द्वारा पुलिस थाना रामगंज में प्रस्तुत की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईद न्यायालय के समक्ष नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त प्रकरण के अन्य मुख्य गवाहान गवाह संख्या 5 दशरथ सिंह जो कि अनुसंधान अधिकारी है, को भी न्यायालय द्वारा बार—बार सम्मन व वारंट से तलब किये जाने के पश्चात् उक्त गवाह के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के पश्चात् तलबी बन्द की गयी। जिससे बचाव पक्ष अपनी प्रतिपरीक्षा के विधिक अधिकार से वंचित रहा है। साथ ही परिवादी महेन्द्र कुमार बैरवा द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर. रिपोर्ट को भी प्रदर्शित नहीं किया जा सका है।

(ii) अभियोजन पक्ष द्वारा जो अभियोजन कहानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, उसमें गवाह संख्या 1 महेन्द्र सिंह जो स्वयं को परिवादी महेन्द्र कुमार बैरवा के साथ घटनास्थल पर मौजूद होना बताता है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अभियुक्त राजेश के मोटरसाईकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहने होने के कारण एस.आई.जगनलाल ने मोटरसाईकिल का चालान बनाया था। परन्तु ऐसा कोई चालान अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्रावली पर संलग्न नहीं किया गया है, न ही चालान पत्रावली पर संलग्न नहीं होने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा जो अभियुक्त का चालान बनाये जाने के संबंध में कथन किया गया है, वह सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण के उक्त तथ्यों, परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.02.2014 को समय करीब 6.00 पी.एम. से 8.00 पी.एम. के लगभग स्थान चूंगी नाका ब्यावर रोड, रामगंज, अजमेर के निकट लोक सेवक महेन्द्र कुमार एफ.सी. 2193 पी.एस. रामगंज लोक सेवक के नाते अपने साथी लोक सेवक के पदीय कर्तव्य का निर्वहन करते जुए चूंगी नाका पर प्रत्येक वाहन चैक कर रहे थे के कर्तव्य निर्वहन से भयोपरत करने के लिए धक्का–धूम, गालीगलौच कर उन पर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया।

परिणामतः अभियुक्त राजेश कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आ दे श

अतः अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र प्रेमप्रकाश राजोरिया निवासी बी/283, चन्दरबरदायी नगर, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 353 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता हैं।

अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के प्रावधानों के तहत 6 माह की अवधि के लिये रूपये 10,000/–10,000/–के जमानत मुचलके पेश करें।

अभियुक्त के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत जमानत और मुचलके से भिन्न हाजरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(सागर माथुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग,
सं0– 01, अजमेर ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सागर माथुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग,
सं0– 01, अजमेर ।